

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालौर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

हेमाराम पुत्र रगाजी, जाति
माली, निवासी जेतपुरा, हाल
बडगांव तहसील रानीवाडा,
जिला जालौर

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालौर

प्रकरण संख्या अपील

34/2019

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय
दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर.
एक्ट, प्रकरण संख्या 06/2019 हेमाराम बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1- श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्त
- 2- तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोंडेन्ट
- 3- श्री छोटसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 06.01.2020

अपीलान्त के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज
रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया।
अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में
बहस सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलग्रस्त भूमि के चार
में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह रात्रपुत्र ने जागीर
कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आवादी
भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण मूची में
पेश किया था। जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्द्रज किया,
जिसका इस अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची बी - मकान आवादी भूमि
आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही
अपीलग्रस्त भूमि है जिसके अनुसार चक्का वाला मकान व उसके आगे पिछे
पडी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालौर के डिप्टी कलेक्टर
(जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः
कमीशनर के न्यायालय में पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि
के पडौस अंकित किये हैं। उसी भूमि पर कोई उजरदारी प्राप्त नहीं होने में
पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने
दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने
अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय को
पालना में भूमिधारी स्वयं को रिकॉर्ड दुरुस्ती कर खसम नम्बर 791 में आरण
की यजाय गै.मु. आवादी दर्ज करनी चाहिये थी। क्योंकि रेवेन्यू कार्ड को
अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इस जागीरदार
से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्त ने अपना भूमि
खरीद की है। जिसका नियमानुसार पंजाशन भी भूमिधारी तत्काल तहसीलदार
भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को आरण की माफकर

बेदखली व जुर्माने का आदेश किया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :- पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार सन् 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रुपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 16/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीशनर सहव के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पड़े आबादी भूमि की मौके पर जांच की, उस वक़्त चक्की व मकान पाये गये लिखा है। जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1958-59 में पेश की जिसका निर्णय 1963 में हुआ है। उस समय चक्की व मकानात खुली उर्मत मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटो की बाड़ थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, लेकिन मौतविरा में चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड़ जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने अत्याधिक मकानात है जागीरदार की निजी भूमि के पडोस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की वजाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है। जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिनमें से अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, अवधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन किया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायत से पट्टे की प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बेचाननामा पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ प्रस्टापल्ल के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विरोधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी में दिया गया। जो निर्णय में स्पष्ट

है निर्णय में न तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी. पी.सी के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिला उसके बाद अन्य नकले व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अर्थात् शुरुआत दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीरों की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेंट का पैमाना कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे है उन्होने कोई उत्तरदायी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी यह की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूरमाना कर वसूल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेंट ऑथोरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में भूत के मुकाबले वृद्धि की है जिसमें भी साबित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बंडगांव की मुख्य आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस अभय पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील मुनने का क्षेत्राधिकार व प्रवणधिकार प्राप्त है। अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीम पेश है हमने इस निर्णय को विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलग्रस्त को विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

यहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांत द्वारा उभय पक्ष वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोगहते हुये कथन किया गया है विधिपटवारी हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल हेमारांम के विरुद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 19/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश एवं वर्तमान जूरमाना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 49/2012 हेमाराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध गैर भावल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 34/2012 हेमाराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध गैर भावल द्वारा निगरानी/एल.आर/1447/2015/जालोर हेमाराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिजिड कराने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी हेमाराम पुत्र रगाजी जाति माली साकिन जेतपुरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेहद्वल करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से वतौर जुर्माना खतान दर 1/- रूपये का प्रवास गुणा 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। निगरानी अपील प्रकरण संख्या 06/2019 सरकार बनाम हेमाराम में तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध विचारित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के कुलगांव में 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग अत्यादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है। उप जिलाधीन (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है को अत्यादी में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आवादी होने से जयपुर रजिस्टर्ड बेचन परनादेज के अपीलांत को बेची गई है। भूमि आवादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पानी विजनी के कनेक्शन भी किये गये हैं। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर कायिज है। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति खताने भूमि पर किये किये संगत

प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता जाता आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा क्योंकि इस प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है। तथा भू-राजस्व रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजों के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में दिनांक 1956 में समस्त इन्द्राजों के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक की लिफोत सिद्ध न कर दिया जाये। इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इसे अपीलांट साबित करने में सफल रहा है। क्योंकि प्रकरण संख्या 06/2019 सरकार बंगम हेमराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बंदि है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है। जागीर कमिश्नर के निर्णय को पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुखस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतः अपीलांट को अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिकारता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वसंत खसरा नंबर 791 का है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह बूट भी लिखा हुआ नहीं है। विवरित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिसको पुत्र से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध सिद्ध अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के विन्दुओं पर मनन भी किया गया जिसके अनुसार मौजा वडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2063 में श्री हेमराम पुत्र रेगाजी जाति माली निवासी जेतपुरा द्वारा नाजायज कब्जा करने पर पटवारी हल्का वडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट पेश कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 19/2012 सरकार बनाम हेमराम दर्ज कर गैर मुमकिन हेमराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलाब किया गया। पेशी नंबर 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया। पत्रावली मौके से बेदखल करने

का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये से दंडित किया गया। निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 49/2012 हेमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली, कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 34/2012 हेमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अनिलाधीन निर्णय बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1447/2015/जालोर हेमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी अंशक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली, कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथन एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में संबंध पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी हेमाराम पुत्र रगाजी जाति मारवा जाति जैतपुरा द्वारा अर्द्ध रूप में गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धरा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मांग के तहत खसरा नंबर 791 का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/ रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है जो वसूल हो। विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के प्रकरण संख्या 06/2019 हेमाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि खडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 07.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग में 791 भूमि का तथा बी भाग आवादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का भूकाम जिसका सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। को आवादी में हस्तांतरित किया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार को निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से राज्य ब्यक्तन दस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी जारी करना भी अपीलांत द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का भूकाम जिसका सामने व पिछाड़ी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 में सृजित हुये है। जिसकी पूर्व से ही क्रिस्म गैर मुमकिन ओरण मान्य अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धरा 16 के तहत प्रतिबंधित

भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलांत द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेंटलमेन्ट में ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से संबंधित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि है चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलांत वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बड़गांव तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेंटलमेन्ट में ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलांत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 06/2019 सरकार बनाम हेमाराम में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अपीलांत को अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फौजला रजिस्ट्रार होकर अम्बर में क्रम हो।

Sd/-

(महेश रानी)

जिला कमेन्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(महेश रानी)

जिला कमेन्टर, जालौर